



मनमोहन सिंह के पश्चात भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का प्रदर्शन विश्लेषण: डिजिटल परिवर्तन, एनपीए प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में एक अध्ययन

रश्मि शर्मा*

Research Scholar Economics, Department of Humanities and Social Science, Jayoti Vidhyapeeth Women's University, Jaipur.

*Corresponding author: arvrashmi37@gmail.com

Citation: शर्मा, रश्मि (2026). मनमोहन सिंह के पश्चात भारतीय वाणिज्यिक बैंकों का प्रदर्शन विश्लेषण: डिजिटल परिवर्तन, एनपीए प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में एक अध्ययन. International Journal of Academic Excellence and Research, 02(02), 32-40. <https://doi.org/10.62823/IJAER/02.02.202>

सार: यह शोध पत्र भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन का व्यापक एवं तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें मनमोहन सिंह के पश्चात के कालखंड को विशेष रूप से केंद्र में रखा गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के प्रबंधन तथा वित्तीय स्थिरता के परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तनों का मूल्यांकन करना है। 2014 के पश्चात भारतीय बैंकिंग प्रणाली एक ऐसे संक्रमणकाल से गुज़री, जहाँ एक ओर बढ़ते हुए NPA, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट, कमजोर ऋण मूल्यांकन प्रणाली तथा वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों ने बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर Reserve Bank of India एवं भारत सरकार द्वारा किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों ने इस संकट से उबरने के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। Asset Quality Review (AQR) के माध्यम से बैंकों को अपनी वास्तविक परिसंपत्ति गुणवत्ता को उजागर करने के लिए बाध्य किया गया, जिससे छिपे हुए NPA सामने आए और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी। इसके साथ ही Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के कार्यान्वयन ने ऋण समाधान प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाया, जिससे ऋण वसूली दर में सुधार हुआ तथा बैंकों की बैलेंस शीट अधिक सुदृढ़ हुई। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि 2018 के आसपास जहाँ सकल NPA अनुपात अपने उच्चतम स्तर (लगभग 9% से अधिक) पर था, वहीं हाल के वर्षों में यह घटकर लगभग 4% के आसपास पहुँच गया है, जो बैंकिंग प्रणाली में सुधार का स्पष्ट संकेत है। इस शोध का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम डिजिटल परिवर्तन है, जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के स्वरूप को मूलतः परिवर्तित कर दिया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार, स्मार्टफोन एवं इंटरनेट की बढ़ती पहुँच तथा सरकारी पहलों – जैसे “Digital India” - ने बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ, त्वरित एवं पारदर्शी बनाया है। विशेष रूप से National Payments Corporation of India द्वारा विकसित UPI (Unified Payments Interface) ने भुगतान प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए “रियल-टाइम” लेन-देन को संभव बनाया है, जिससे नकदी पर निर्भरता में कमी आई है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार ने न केवल सेवा वितरण की दक्षता को बढ़ाया है, बल्कि बैंकों की संचालन लागत को भी कम किया है तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही, CRAR (Capital Adequacy Ratio) एवं ROA (Return on Assets) जैसे वित्तीय संकेतकों में सुधार यह दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणाली की पूंजी स्थिति एवं लाभप्रदता दोनों में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

Article History:

Received: 03 April, 2026

Revised: 14 April, 2026

Accepted: 24 April, 2026

Published Online: 01 May, 2026

शब्दकोश:

डिजिटल बैंकिंग, NPA प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता, CRAR (पूँजी पर्याप्तता अनुपात), ROA (परिसंपत्ति प्रतिफल), UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), भारतीय वाणिज्यिक बैंक।

प्रस्तावना

भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आधारभूत स्तंभ रही है, जो वित्तीय संसाधनों के कुशल आवंटन, निवेश प्रवाह के प्रबंधन तथा आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (LPG) सुधारों ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को एक नए युग में प्रवेश कराया, जिसकी वैचारिक एवं नीतिगत आधारशिला मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई थी। इन सुधारों के परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का विस्तार हुआ, निजी एवं विदेशी बैंकों का प्रवेश बढ़ा तथा तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहन मिला। हालांकि, इस संक्रमणकालीन प्रक्रिया में बैंकिंग प्रणाली को कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की निरंतर वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति, पूंजी की कमी तथा संचालनात्मक अक्षमताएँ प्रमुख थीं। विशेष रूप से 2010 के दशक में NPA संकट ने बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे बैंकों की लाभप्रदता में गिरावट आई और ऋण वितरण की क्षमता बाधित हुई। इस परिप्रेक्ष्य में Reserve Bank of India एवं भारत सरकार द्वारा बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु अनेक नीतिगत हस्तक्षेप किए गए, जिनका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन स्थापित करना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा बैंकिंग क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना था।

मनमोहन सिंह के पश्चात विशेष रूप से 2014 के बाद का काल भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक निर्णायक परिवर्तनकारी चरण के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसमें तकनीकी नवाचार, विधिक सुधार एवं नियामक सुदृढीकरण के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया। इस अवधि में डिजिटल बैंकिंग का तीव्र विस्तार हुआ, जिसमें National Payments Corporation of India द्वारा विकसित यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने वित्तीय लेन-देन की प्रकृति को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया और बैंकिंग सेवाओं को व्यापक जनसमूह तक सुलभ बनाया। इसके साथ ही, Insolvency and Bankruptcy Code जैसे महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों के माध्यम से NPA प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया गया, जिससे ऋण वसूली में सुधार हुआ और बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन की स्थापना हुई। इन सुधारों के परिणामस्वरूप बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता तथा समग्र वित्तीय स्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अतः वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य इस परिवर्तनशील परिदृश्य का गहन विश्लेषण करना है, जिसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल परिवर्तन, NPA प्रबंधन एवं वित्तीय स्थिरता के बीच किस प्रकार का अंतर्संबंध स्थापित हुआ है तथा इन कारकों ने भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के प्रदर्शन को किस हद तक प्रभावित किया है।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या पर गंभीर शोध कार्य किया गया है, जिसमें इसे वित्तीय स्थिरता के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में देखा गया है। रघुराम राजन (2015), अपने RBI के संबोधनों एवं रिपोर्टों में, यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते NPA का प्रमुख कारण "क्रोनी कैपिटलिज्म", कमजोर ऋण मूल्यांकन (credit appraisal) तथा बड़े कॉर्पोरेट ऋणों की असफलता रही है। इसी प्रकार, विरल आचार्य (2017) ने "Twin Balance Sheet Problem" की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिपादित किया कि बैंकिंग क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र दोनों की वित्तीय समस्याएँ परस्पर जुड़ी हुई हैं, जिससे ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास बाधित होता है (Acharya, 2017, RBI Speech)। IMF (2019) की रिपोर्ट "India Financial System Stability Assessment" में भी यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय बैंकों में NPA संकट ने वित्तीय मध्यस्थता (financial intermediation) को कमजोर किया, जिससे निवेश और विकास दर प्रभावित हुई। इसके समाधान हेतु Insolvency and Bankruptcy Code को एक संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा गया है, जिसने दिवाला समाधान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाकर ऋण वसूली की दक्षता को बढ़ाया (World Bank, 2020)।

डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए शोध यह दर्शाते हैं कि तकनीकी नवाचारों ने बैंकिंग प्रणाली को अधिक समावेशी, कुशल और पारदर्शी बनाया है। नंदन निलकानी (2018) ने “Digital India Stack” के संदर्भ में यह प्रतिपादित किया कि आधार, e-KYC और UPI जैसे प्लेटफॉर्मों ने वित्तीय सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाया है और भारत में डिजिटल वित्तीय क्रांति को गति दी है। सूरी एवं जेक (2016) द्वारा केन्या में M-Pesa पर किए गए अध्ययन, जिसे “science” जर्नल में प्रकाशित किया गया, यह सिद्ध करता है कि डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं – यह निष्कर्ष भारतीय संदर्भ में भी लागू होता है। National Payments Corporation of India द्वारा प्रकाशित आंकड़ों और RBI (2022) की “Payment Systems in India” रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि UPI आधारित लेन-देन में तीव्र वृद्धि ने बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ एवं कम लागत वाला बनाया है। इसके साथ ही, OECD (2020) की रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता नई चुनौतियों के रूप में उभरी हैं, जिन्हें प्रभावी नियमन के माध्यम से नियंत्रित करना आवश्यक है।

वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और नियामक सुदृढ़ता बैंकिंग स्थिरता के प्रमुख निर्धारक हैं। Reserve Bank of India (2022) की “Financial Stability Report” में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय बैंकों की पूंजी स्थिति (CRAR) में सुधार हुआ है तथा सकल NPA अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे बैंकिंग प्रणाली अधिक लचीली (resilient) बनी है। IMF (2023) की “Global Financial Stability Report” में भी भारत को एक ऐसे उभरते हुए बाजार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसने बैंकिंग क्षेत्र में पुनर्पंजीकरण, नियामक सुधार और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ किया है। Demirgüç & Kunt et al. (2018, World Bank) के अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मजबूत बैंकिंग नियमन और पर्याप्त पूंजी आधार वित्तीय संकटों से निपटने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार, उपर्युक्त साहित्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि NPA प्रबंधन, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय स्थिरता पर पृथक-पृथक शोध उपलब्ध हैं, तथापि इन तीनों आयामों का एकीकृत विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है, जो इस अध्ययन को एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण शोध-अवधारणा प्रदान करता है।

प्रमुख विचार

डिजिटल परिवर्तन ने भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की कार्यप्रणाली, सेवा वितरण प्रणाली तथा ग्राहक पहुँच को मूल रूप से परिवर्तित करते हुए बैंकिंग को अधिक कुशल, पारदर्शी, त्वरित एवं समावेशी बना दिया है। 2014 के पश्चात तकनीकी नवाचारों के तीव्र विस्तार ने पारंपरिक बैंकिंग मॉडल को डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित संरचना में रूपांतरित कर दिया, जिससे बैंकिंग सेवाएँ भौगोलिक सीमाओं से परे व्यापक जनसमूह तक पहुँच सकीं। National Payments Corporation of India द्वारा विकसित UPI प्रणाली ने तत्काल, सरल एवं कम लागत वाले भुगतान को संभव बनाकर वित्तीय लेन-देन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसके अतिरिक्त मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आधार आधारित प्रमाणीकरण तथा डिजिटल वॉलेट्स ने ग्राहकों को 24x7 बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की हैं, जिससे सेवा वितरण में तीव्रता और पारदर्शिता आई है। डिजिटल तकनीकों के उपयोग से बैंकों की संचालन लागत में कमी, जोखिम प्रबंधन में सुधार तथा डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को बल मिला है। यद्यपि साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, तथापि समग्र रूप से डिजिटल परिवर्तन ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य उन्मुख बनाया है।

• डिजिटल बैंकिंग का विकास

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में डिजिटल बैंकिंग का विकास एक क्रमिक किंतु तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया रही है, जिसने पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त और ग्राहक-केंद्रित स्वरूप प्रदान किया है। प्रारंभिक चरण में, 1990 के दशक के पश्चात बैंकों ने कोर बैंकिंग प्रणाली (CBS), एटीएम नेटवर्क तथा

इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाओं की शुरुआत की, जिससे बैंकिंग कार्यों में आंशिक स्वचालन संभव हुआ। इसके पश्चात 2010 के दशक में मोबाइल प्रौद्योगिकी के विस्तार और स्मार्टफोन की उपलब्धता ने डिजिटल बैंकिंग को एक नई दिशा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन्स, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर (NEFT, RTGS) तथा डिजिटल वॉलेट्स का उपयोग तेजी से बढ़ा। विशेष रूप से 2014 के बाद भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" पहल तथा Reserve Bank of India की नीतियों ने डिजिटल बैंकिंग को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया, जिससे बैंकिंग सेवाओं की पहुँच ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक भी सुनिश्चित हो सकी।

इस विकास प्रक्रिया में National Payments Corporation of India की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिसने UPI, IMPS और AEPS जैसी प्रणालियों के माध्यम से त्वरित, सुरक्षित और सुलभ भुगतान व्यवस्था विकसित की। UPI के माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा ने न केवल नकदी पर निर्भरता को कम किया है, बल्कि छोटे व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों को भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, आधार आधारित e-KYC प्रणाली ने खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया है, जिससे वित्तीय समावेशन को नई गति मिली है। डिजिटल बैंकिंग के इस विस्तार ने बैंकिंग सेवाओं को "कहीं भी, कभी भी" (Anywhere, Anytime Banking) की अवधारणा में परिवर्तित कर दिया है, जिससे ग्राहकों की निर्भरता शाखाओं पर कम हुई है।

हालांकि, डिजिटल बैंकिंग के इस तीव्र विकास के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जिनमें साइबर अपराधों का बढ़ता खतरा, डेटा गोपनीयता की चिंता तथा डिजिटल साक्षरता का अभाव प्रमुख हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी ज्ञान की कमी डिजिटल सेवाओं के प्रभावी उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है। इसके बावजूद, समग्र रूप से देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग का विकास भारतीय बैंकिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसने न केवल बैंकिंग दक्षता को बढ़ाया है, बल्कि वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता और आर्थिक विकास को भी सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।

• SMA & NPA Classification (RBI Guidelines 2025)

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ऋण खातों की गुणवत्ता का आकलन एवं वित्तीय जोखिमों की समय रहते पहचान सुनिश्चित करने के लिए Reserve Bank of India द्वारा SMA (Special Mention Accounts) तथा NPA (Non/Performing Assets) का वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण नियामक ढांचे के रूप में लागू किया गया है। RBI के दिशा-निर्देश संख्या RBI/DOR/2025-26/165 दिनांक 28 नवम्बर 2025 के अनुसार, किसी भी ऋण खाते में मूलधन, ब्याज अथवा अन्य देय राशि के भुगतान में चूक (default) होने पर उसे प्रारंभिक स्तर पर SMA के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण बैंकिंग प्रणाली में एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत (Early Warning Signal) के रूप में कार्य करता है, जिससे संभावित जोखिम वाले खातों की पहचान समय रहते की जा सके और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

SMA वर्गीकरण को तीन क्रमिक स्तरों SMA-0, SMA-1 एवं SMA-2 में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः 0 से 90 दिनों तक की बकाया अवधि को दर्शाते हैं। इस अवधि में ऋण खाते में लगातार बनी रहने वाली देय राशि बैंक के लिए बढ़ते हुए वित्तीय तनाव का संकेत देती है। यदि इस चरण के दौरान खाता नियमित नहीं किया जाता है और बकाया स्थिति 90 दिनों से अधिक समय तक बनी रहती है, तो उसे "Non-Performing Asset (NPA)" के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। NPA की स्थिति बैंक के लिए एक गंभीर वित्तीय जोखिम को दर्शाती है, क्योंकि इस अवस्था में ऋण पर अपेक्षित आय (interest income) प्राप्त नहीं होती तथा बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस वर्गीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे प्रत्येक दिन के अंत (day-end process) पर लागू किया जाता है, जिससे ऋण खातों की स्थिति का अद्यतन एवं सटीक आकलन संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त, यह वर्गीकरण केवल गैर-घूर्णन (non-revolving) ऋणों तक सीमित नहीं है, बल्कि कैश

क्रेडिट एवं ओवरड्राफ्ट जैसे घूर्णन (revolving) खातों पर भी लागू होता है, जहाँ सीमा से अधिक शेष (outstanding) की स्थिति को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार, SMA/NPA वर्गीकरण बैंकिंग प्रणाली में ऋण अनुशासन को सुदृढ़ करने, जोखिम प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि ऋणों (agricultural advances) पर यह सामान्य SMA/NPA वर्गीकरण लागू नहीं होता, क्योंकि उनके लिए फसल-चक्र (crop season) आधारित वर्गीकरण प्रणाली अपनाई जाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो SMA/NPA वर्गीकरण भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक सशक्त निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो न केवल बैंकों को संभावित नुकसान से बचाने में सहायक है, बल्कि संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है।

• **NPA Management (IBC एवं अन्य उपायों के संदर्भ में)**

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या लंबे समय से एक गंभीर चुनौती रही है, जिसने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता, ऋण वितरण क्षमता तथा वित्तीय स्थिरता को प्रभावित किया है। 2010 के दशक के मध्य में NPA का स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। इस संदर्भ में Reserve Bank of India एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत एवं विधिक उपायों को लागू किया गया, जिनका उद्देश्य ऋण वसूली प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, बैंकिंग अनुशासन स्थापित करना तथा वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देना था।

इन सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण कदम Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) का कार्यान्वयन रहा, जिसने दिवाला एवं ऋण समाधान की प्रक्रिया को एकीकृत एवं समयबद्ध ढांचे में प्रस्तुत किया। IBC के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के माध्यम से ऋणदाताओं को यह अधिकार दिया गया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें। इससे पूर्व की व्यवस्था में जहाँ ऋण वसूली की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, वहीं IBC ने इसे अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख बनाया। इसके परिणामस्वरूप कई बड़े कॉर्पोरेट खातों का समाधान हुआ तथा बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए पूंजी (stressed assets) की वसूली में सुधार देखने को मिला।

IBC के अतिरिक्त, Reserve Bank of India द्वारा Asset Quality Review (AQR) की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से बैंकों को अपने वास्तविक NPA को पहचानने के लिए बाध्य किया गया। इस कदम से "छिपे हुए NPA" (hidden NPAs) उजागर हुए और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी। इसके साथ ही, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण (recapitalization) के लिए विशेष योजनाएँ लागू की गईं, जिससे बैंकों की पूँजी पर्याप्तता (capital adequacy) को सुदृढ़ किया जा सका और वे अधिक प्रभावी ढंग से ऋण वितरण कर सकें।

NPA प्रबंधन में एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ऋण पुनर्गठन (loan restructuring) एवं "Bad Bank" की अवधारणा रही है, जिसके अंतर्गत National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) की स्थापना की गई, ताकि बड़े तनावग्रस्त ऋणों को बैंकों की बैलेंस शीट से अलग कर उनके समाधान की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इन सभी उपायों के संयुक्त प्रभाव से हाल के वर्षों में NPA अनुपात में गिरावट आई है तथा बैंकिंग प्रणाली की समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

समग्र रूप से देखा जाए तो NPA प्रबंधन के लिए अपनाए गए इन संरचनात्मक सुधारों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को "संकटग्रस्त" स्थिति से निकालकर "स्थिर एवं सुदृढ़" स्थिति की ओर अग्रसर किया है। हालांकि, भविष्य में भी सतत निगरानी, प्रभावी नियमन तथा तकनीकी नवाचारों के माध्यम से NPA समस्या को नियंत्रित रखना आवश्यक होगा, ताकि बैंकिंग प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता एवं विकास सुनिश्चित किया जा सके।

- **NPA Management**

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या विशेष रूप से 2014–2018 के बीच अपने चरम पर पहुँची, जब सकल NPA अनुपात लगभग 9% से अधिक हो गया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह 11% से भी ऊपर चला गया। Reserve Bank of India की "Trend and Progress of Banking in India" रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का सकल NPA अनुपात लगभग 9.3% दर्ज किया गया, जो कि एक गंभीर वित्तीय संकट का संकेत था। इस स्थिति के प्रमुख कारणों में अवसंरचना क्षेत्र में अत्यधिक ऋण वितरण, कॉर्पोरेट डिफॉल्ट, कमजोर क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली तथा आर्थिक मंदी शामिल थे। इस संकट ने बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप कई बैंकों का ROA और ROE नकारात्मक स्तर तक पहुँच गया।

इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार और Reserve Bank of India द्वारा कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार लागू किए गए। इनमें सबसे प्रमुख सुधार Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) रहा, जिसने ऋण समाधान प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाया। IBC के तहत National Company Law Tribunal (NCLT) के माध्यम से बड़े कॉर्पोरेट ऋण मामलों का समाधान किया गया। RBI एवं विश्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार, IBC के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये की वसूली संभव हुई तथा ऋण वसूली दर (recovery rate) में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उदाहरण के रूप में, Essar Steel जैसे बड़े मामलों में लगभग 40–45% तक की वसूली प्राप्त हुई, जो पूर्व की व्यवस्था की तुलना में काफी अधिक थी।

इसके अतिरिक्त, RBI द्वारा 2015 में प्रारंभ की गई Asset Quality Review (AQR) ने बैंकों को अपने वास्तविक NPA को पहचानने के लिए बाध्य किया, जिससे "evergreening" की प्रवृत्ति पर रोक लगी और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी। AQR के बाद NPA में प्रारंभिक वृद्धि देखने को मिली, परंतु दीर्घकाल में इससे बैंकिंग प्रणाली अधिक मजबूत हुई। इसके साथ ही, भारत सरकार द्वारा 2017–2020 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण (recapitalization) हेतु लगभग ₹3 लाख करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की गई, जिससे उनकी पूंजी पर्याप्तता (CRAR) में सुधार हुआ और वे अधिक प्रभावी ढंग से ऋण वितरण करने में सक्षम हुए।

हाल के वर्षों में इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ट्प के 2023–24 रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का सकल छत्त अनुपात घटकर लगभग 3.9% तक आ गया है, जो पिछले एक दशक का न्यूनतम स्तर है। यह दर्शाता है कि NPA प्रबंधन में संरचनात्मक सुधार सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) की स्थापना के माध्यम से "Bad Bank" की अवधारणा को लागू किया गया, जिससे बड़े तनावग्रस्त ऋणों को अलग कर उनके समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया गया।

इस प्रकार, NPA प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपाय—जैसे IBC, AQR, पुनर्पूजीकरण एवं Bad Bank-US भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक संकटग्रस्त अवस्था से स्थिर एवं सुदृढ़ अवस्था की ओर अग्रसर किया है। हालांकि, भविष्य में भी NPA नियंत्रण के लिए सतत निगरानी, बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन, डिजिटल डेटा विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग आवश्यक होगा, ताकि बैंकिंग प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

- **Financial Stability (CRAR, ROA एवं Data Analysis)**


भारतीय बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) का मूल्यांकन मुख्यतः पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy), लाभप्रदता (Profitability) तथा जोखिम प्रबंधन (Risk Management) के आधार पर किया जाता है। इस संदर्भ में Reserve Bank of India द्वारा निर्धारित Basel-III मानकों के अंतर्गत CRAR (Capital to Risk Weighted Assets Ratio) तथा ROA (Return on Assets) जैसे संकेतक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

2014 के पश्चात भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है, जो मुख्यतः पुनर्पूजीकरण, NPA प्रबंधन एवं नियामक सुदृढीकरण के कारण संभव हुआ है।

वित्तीय स्थिरता के प्रमुख संकेतकों में CRAR का विशेष महत्व है, जो यह दर्शाता है कि बैंक अपनी जोखिमयुक्त परिसंपत्तियों के मुकाबले कितनी पूंजी बनाए हुए हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 में भारतीय बैंकों का औसत CRAR लगभग 12.8% था, जो 2020 में बढ़कर लगभग 14.7% तथा 2024 में 17% से अधिक हो गया है। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत हुई है और वे संभावित वित्तीय झटकों (financial shocks) का सामना करने में अधिक सक्षम हो गए हैं। यह सुधार मुख्यतः सरकार द्वारा किए गए पुनर्पूजीकरण तथा बैंकों के बेहतर जोखिम प्रबंधन के कारण संभव हुआ है।

लाभप्रदता के दृष्टिकोण से ROA (Return on Assets) एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो यह दर्शाता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों से कितनी आय उत्पन्न कर रहे हैं। 2016-2018 के दौरान NPA संकट के कारण भारतीय बैंकों का ROA नकारात्मक स्तर तक पहुँच गया था, जो बैंकिंग प्रणाली की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 2018 में ROA लगभग -0.2% तक गिर गया था। हालांकि, IBC, AQR एवं अन्य सुधारों के प्रभाव से बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ और 2022 में ROA लगभग 0.9% तथा 2024 में 1.2% तक पहुँच गया है। यह सुधार दर्शाता है कि बैंकों की लाभप्रदता पुनः स्थापित हो रही है और वे अधिक कुशलता से अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं।

डेटा सारणी : Financial Stability Indicators (2014-2024)			
वर्ष	CRAR	ROA (%)	स्थिति
2014	12.8	0.5	सामान्य
2016	13.1	-0.1	गिरावट
2018	13.5	-0.2	संकट
2020	14.7	0.2	सुधार
2022	16.3	0.9	मजबूत
2024	17.1	1.2	अत्यंत मजबूत



डेटा विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि CRAR एवं ROA में सुधार का सीधा संबंध NPA में कमी से है। जैसे-जैसे NPA अनुपात घटा, बैंकों की आय में वृद्धि हुई तथा पूंजी पर्याप्तता मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त, डिजिटल बैंकिंग के विस्तार ने भी बैंकिंग संचालन की लागत को कम किया है, जिससे लाभप्रदता में सुधार हुआ है। इस प्रकार, वित्तीय स्थिरता को एक समेकित प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता एवं परिसंपत्ति गुणवत्ता तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के प्रदर्शन का समग्र विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि मनमोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों के पश्चात, विशेषकर 2014 के बाद का कालखंड बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक गहन संरचनात्मक परिवर्तन का दौर रहा है। इस अवधि में बैंकिंग प्रणाली ने एक ओर जहाँ गंभीर NPA संकट, लाभप्रदता में गिरावट एवं वित्तीय अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना किया, वहीं दूसरी ओर प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों, तकनीकी नवाचारों तथा नियामक सुदृढीकरण के माध्यम से इन चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पाया। Reserve Bank of India तथा भारत सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों-जैसे Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), Asset Quality Review (AQR), बैंक पुनर्पूजीकरण तथा डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन - ने बैंकिंग प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान की है। परिणामस्वरूप, जहाँ 2018 के आसपास NPA अनुपात अपने उच्चतम स्तर पर था, वहीं हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई है और बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने संकट की स्थिति से उबरकर एक अधिक सुदृढ एवं स्थिर स्वरूप प्राप्त कर लिया है।

डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में यह अध्ययन यह दर्शाता है कि तकनीकी प्रगति ने बैंकिंग प्रणाली को अधिक समावेशी, पारदर्शी एवं कुशल बनाया है। National Payments Corporation of India द्वारा विकसित UPI जैसी प्रणालियों ने न केवल लेन-देन की प्रकृति को बदल दिया है, बल्कि वित्तीय सेवाओं को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल बैंकिंग ने संचालन लागत को कम करने, सेवा वितरण में तेजी लाने तथा डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ करने में योगदान दिया है। साथ ही, NPA प्रबंधन के क्षेत्र में IBC एवं अन्य सुधारों ने ऋण वसूली प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया है, जिससे बैंकिंग अनुशासन को मजबूती मिली है। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से CRAR एवं ROA जैसे वित्तीय संकेतकों में सुधार हुआ है, जो बैंकिंग प्रणाली की बढ़ती वित्तीय स्थिरता को दर्शाते हैं।

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने "संकट से स्थिरता" (Crisis to Stability) की एक महत्वपूर्ण यात्रा पूरी की है, जिसमें डिजिटल परिवर्तन, प्रभावी NPA प्रबंधन तथा सुदृढ वित्तीय नियमन ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। तथापि, भविष्य की दृष्टि से साइबर सुरक्षा, डिजिटल विभाजन, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जिनसे निपटने के लिए निरंतर सुधार एवं नवाचार की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक लचीली (resilient), तकनीकी रूप से सक्षम एवं दीर्घकालिक रूप से स्थिर प्रणाली के रूप में विकसित करने हेतु नीतिगत प्रयासों की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2025). तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु दिशा-निर्देश (RBI/DOR/2025-26/165).
2. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2024). भारत में बैंकिंग की प्रगति एवं प्रवृत्तियाँ (Trend and Progress of Banking in India 2023-24). मुंबई: RBI.
3. भारत सरकार. (2024). आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

4. राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत. (2024). UPI सांख्यिकी रिपोर्ट.
5. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष. (2023). वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report).
6. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2023). वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report). मुंबई: RBI.
7. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2022). भारत में भुगतान प्रणाली (Payment Systems in India). मुंबई: RBI.
8. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2022). मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (Report on Currency and Finance). मुंबई: RBI.
9. Demirgüç-Kunt, A., et al. (2018). Global Financial Development Report. World Bank.
10. नंदन नीलकेणी. (2018). Digital India: Technology to Transform a Connected Nation.
11. वायरल आचार्य. (2017). भारत के बैंकिंग संकट का समाधान. RBI भाषण।
12. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता. (2016). भारत सरकार।
13. Suri, T., Jack, W. (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money- Science, 354(6317), 1288–1292.
14. रघुराम राजन. (2015). भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार. RBI भाषण।
15. विश्व बैंक. (2020). व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट (Doing Business Report).

